6 संस्थान देंगे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को टक्कर

1 टक्कर देने वाले संस्थानों में IIT दिल्ली, बॉम्बे, जियो और IISc बेंगलुरु हैं शामिल

2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इन्हें 'सबसे प्रतिष्ठित संस्थान' का मिला दर्जा

3 इंस्टिट्यूट्स अपनी बेहतरी के लिए ले सकेंगे फैसले, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी

■ एजेंसी, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की रेस में भारतीय संस्थानों को भी शामिल करवाने के लिए सोमवार को 6 विश्वविद्यालयों को सबसे प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा देने की घोषणा की। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु शामिल हैं।

मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर से मनिपाल अकैडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बिट्स पिलानी और जियो इंस्टिट्यूट को भी उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है। पहले कहा जा रहा था 20 संस्थानों को यह दर्जा मिलेगा।

मिली विशेष छूट

मंत्रालय ने इस अवसर पर कहा, 'देश के लिए उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टिट्यूट आफ एमिनेंस) काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 800 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक भी विश्वविद्याल टॉप 100 या 200 की विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं है।

इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने के फैसले से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।' इन संस्थानों को अब ऑटोनमी, नए कोर्स शुरू करने की छूट, फॉरेन फैकल्टी बुलाने और फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कॉलैबरेशन जैसी विशेष शक्तियां मिली हैं।

"फैसले से इन संस्थानों के स्तर एवं गुणवत्ता को तेजी से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकेगा। यह फैसला इस दिशा में मील का पत्थर है क्योंकि इसके बारे में अब तक न ही सोचा और प्रयास किया गया था।

-प्रकाश जावडेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री

संस्थानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास होंगे: जावडेकर

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक, इससे इन संस्थानों के स्तर एवं गुणवत्ता को तेजी से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जो कुछ भी जरूरी होगा, किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए टिकाऊ योजना, संपूर्ण स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सार्वजनिक वित्त पोषण की जरूरत होती है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता हस्तक्षेप नहीं करने और संस्थानों को अपने अनुरूप आगे बढ़ने की इजाजत देना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फैसला इस दिशा में मील का पत्थर है, क्योंकि इसके बारे में अब तक न ही सोचा और प्रयास किया गया था।

उन्होंने कहा कि इंस्टिट्यूट आफ एमिनेंस दर्जा मिलने के बाद संस्थान अपना फैसला ले सकेंगे। यह फैसला एक तरह से पूर्ण ऑटोनमी है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी छात्र को शिक्षा के अवसर एवं छात्रवृत्ति, ब्याज में छूट, फीस में छूट जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सके।